

॥ कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर ॥

क्रमांक : स्था/28/2024/ 7537

दिनांक : 27 FEB 2024

: : आ दे श : :

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कार्मिक को, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा/रिपोर्ट दिनांक 20.02.2024 के अनुसार, आशुलिपिक ग्रेड प्रथम के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2017 के तहत पे-मैट्रिक्स L-12 में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 के अनुसार पदोन्नत किया जाता है :-

क. सं.	पदोन्नत किये जाने वाले कार्मिक का नाम	पदोन्नति पर देय लेवल	वर्तमान पदस्थापन	विशेष टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	श्री श्रवण कुमार, आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	L-12	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, बहरोड प्रति० कार्यालय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, तिजारा	श्री श्रवण कुमार की नोशनल पदोन्नति दिनांक 30.08.2023 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।
2	श्रीमती हेमलता खर्रे, आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	L-12	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, राजगढ	श्रीमती हेमलता खर्रे की नोशनल पदोन्नति दिनांक 30.08.2023 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।
3	श्री मनीष कुमार सोनी, आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	L-12	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, बहरोड प्रति० कार्यालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, बहरोड	श्री मनीष कुमार सोनी की नोशनल पदोन्नति दिनांक 27.02.2024 से की जाती है तथा उन्हें पदोन्नति के वास्तविक लाभ पदोन्नति आदेश के पश्चात पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होंगे।

- नोट :- 1- उपरोक्त कार्मिकों की वरिष्ठता इस आदेश में दर्शाये गये क्रम के अनुसार होगी।
2- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावे।
3- वर्तमान में कार्यरत/पदस्थापित कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जायेंगे और तब तक उक्त कार्मिक अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करते रहेंगे।

sd-

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र

दिनांक : 27 FEB 2024

क्रमांक : स्था/2024/ 7538-52

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, बहरोड
2. अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 बहरोड/सं. 3 बहरोड/सं. 1 तिजारा/सं. 1 राजगढ
3. संबंधित कर्मचारी/व्यक्तिगत पत्रावली/लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली
4. सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,

अ ल व र